लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल – 462021

दूरभाष - 0755-2600115

www.educationportal.mp.gov.in, www. shikshaportal.mp.gov.in

क्र./ एनसी/ए/74//स्थानां.निरस्त/2019-20 / 385 भोपाल, दिनांक 05.09.19

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी

समस्त जिले मध्यप्रदेश।

विषय :- ऑनलाइन स्थानान्तरण अंतर्गत कार्यमुक्ति एवं कार्यभार ग्रहण कराने के सम्बन्ध में ।

:: 00 ::

स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानान्तरण नीति 2019 के अनुसार विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र **आमंत्रित** किये गए जिसके परिणामस्वरूप लगभग 70000 आवेदन प्राप्त हुए तदुपरांत NIC द्वारा स्थानान्तरण नीति के अनुसार **आवेदक लोक सेवकों को** प्राथमिकता के क्रम में शालाओं का आवंटन किया गया | लोक सेवकों द्वारा अधिकतम 20 विकल्प भरे जाने का प्रावधान किया गया था जिसमे से 45% लोकसेवकों को प्रथम चॉइस और 15% लोकसेवकों को द्वितीय विकल्प इसी प्रकार 80% लोक सेवकों को प्रथम पांच विकल्प में से शाला आवंटित हुई है |

2/ उपरोक्त समस्त आवेदन एजुकेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन लिए गए थे सम्बंधित द्वारा अपने यूजर पासवर्ड द्वारा आवेदन कर उसका प्रिंट निकालकर उस पर फिजिकली हस्ताक्षर कर अपलोड किया गया जिसके आधार पर प्राथमिकता तय करते हुए **शालाओं का** आवंटन किया गया | **शालाओं के** आवंटन में वरीयता यथा शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम, गंभीर रोग से ग्रस्त, पति पत्नी के शासकीय सेवा में होने एवं दिव्यांग आदि को प्राथमिकता दी गयी जिसकी स्थिति निम्नानुसार है : -

Prominent Reason for Allotment	No of Teahcers
Teachers from Schools with 100% board result (Only HS /HSS)	72
Teachers with Self or Family Member with Critical Illness	1484
Teacher with Spouse working as Government Employee	16514
Female Teachers who are Widowed/ Divorcee/ Deserted	1198
Teachers appointed in Disabled Category	1756

3/ स्थानान्तरण आदेश होने के पश्चात कार्यमुक्ति और कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से **प्रचलित** है जिसमे निम्नानुसार **प्रकरणों में राज्य स्तर से निरस्तीकरण किया जा रहा है** :-

1- **आवेदकों द्वारा** गंभीर बीमारी, विकलांग कोटे में नियुक्ति की जानकारी, पति पत्नी के शासकीय सेवा में होने की जानकारी आदि **गलत प्रस्तुत की गई है** | ऐसे प्रकरणों को राज्य स्तर से निरस्त किया जा रहा है |

निरन्तर...2

Scanned by CamScanner

2- कुछ आवेदकों द्वारा अपनी इच्छा से स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

3- ऐसे आवेदक जिनको आवंटित संस्था में पद / स्थान न होने की स्थिति में और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा काउंसिलिंग के माध्यम से संस्था प्रस्तावित किये जाने के उपरांत उस पर असहमत होने की स्थिति में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण निरस्त किये जाने की अनुशंसा **की गई है। ऐसे प्रकरणों को भी** राज्य स्तर से निरस्त **किया जा रहा है।**

उपर्युक्तानुसार निरस्तीकरण के अतिरिक्त जिलों में स्थानांतरिंत शिक्षकों के रिलीविंग और **ज्वाइनिंग** का कार्य अब **तक** 80 प्रतिशत ही पूर्ण हुआ है **जो** चिंताजनक है। अतः **आप अपने स्तर से** जिला अंतर्गत सभी संकुल केन्द्रों की समीक्षा करें एवं लंबित **प्रकरणों को अंतिम तिथि 06 सितम्बर 2019 तक निराकृत करायें। उक्त समय-सीमा के** पश्चात पोर्टल से रिलीविंग का कार्य बंद कर दिया जायेगा और सभी लंबित प्रकरणों के निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। **अतः समय-सीमा में कार्रवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।**

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण **मध्यप्रदेश**
भोपाल, दिनांक 05.09.19

पृष्ठां.क्र./ एनसी/ए/74//स्थानां.निरस्त/2019-20 / 386

प्रतिलिपि : -

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

आयुक्त 5/9/19
लोक शिक्षण **मध्यप्रदेश**

Scanned by CamScanner